न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री सर्वेश्वर निम्बार्क,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 119/2025

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. जगताराम पुत्र उमेदाराम वयस्क 2. दजाराम पुत्र उमेदाराम वयस्क 3. धनाराम पुत्र उमेदाराम वयस्क जातियान कलबी निवासीयान सडा धनजी तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा ।		1. रखाराम पुत्र चैनाराम वयस्क 2. बालाराम पुत्र रखाराम वयस्क 3. नाथाराम पुत्र रखाराम वयस्क 4. छोगी पत्नि सामी पुत्री रामजी जातियान कलबी निवासीयान सडा धनजी तहसील सिणधरी जिला बातोतरा । 5. तहसीलदार, सिणधरी जिला बालोतरा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 5 के पैरोकार उप. तथा शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 04.02.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थी श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। प्रार्थी ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा सडा धनजी पटवार क्षेत्र सडा तहसील सिणधरी जिला बालोरतरा में खेत खसरा नम्बर 776/535 रकबा 7.3376 हेक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, मवेशियों के बाडे व चारबाडे आदि बने हुऐ है। कि उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण के खेत के चारों तरफ वक्त विभाजन पूर्व से कदीमी माठें स्थित है उस पर पेडे पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है। खेत के सेढे (माठ) बहुत पुराने बने हुऐ है इसी के मध्य प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास करते आ रहा है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण की भूमि के सेढे पर एकतरफ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है जिससे प्रार्थीगण की तरफ लगने वाले सेढे पर विप्रार्थीगण द्वारा बार–बार दखलंदाजी करने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त खसरा संख्या 776/535 की पैमाईश बाबत् तहसीलदार सिणधरी के कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र पर विप्रार्थीगण के विवाद के कारण कार्यवाही को अंजाम नहीं

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी